

प्रेषक,

अमित सिंह नेरी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वै०आ०-सा०नि०) अनुमाग-७

विषय:- ई- प्रोक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत क्रियाविधि पोर्टल (Procurement Grievance Mechanism Portal) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोक्योरमेंट हेतु जो ई-निविदायें प्रकाशित होती हैं, उनके संदर्भ में कतिपय विसंगतियाँ/ त्रुटियाँ होने की शिकायत दर्ज होने पर उनके समाधान हेतु वर्तमान में कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। प्रोक्योरमेंट में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्तमान में विश्व बैंक सहायतित UKPFMS परियोजना के अन्तर्गत प्रोक्योरमेंट समाधान पोर्टल लांच किया जा रहा है, जिसका वेब लिंक <http://pgrm.uk.gov.in> है। इस पोर्टल का उपयोग राज्य के उन सभी विभागों/प्रतिष्ठानों को करना अनिवार्य होगा, जिन पर उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमावली लागू है। इसके अतिरिक्त वाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAP)/भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रोक्योरमेंट भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी प्रकार की ई-निविदायें जिनका सम्बावित मूल्य रु० 1.00 करोड़ (रु० एक करोड़) या अधिक हैं, में उसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से इस पोर्टल में की जायेगी। इस पोर्टल के उपयोग व इसमें प्रविष्टियों का अंकन किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

1. ई-निविदा प्रकाशित करने वाले सभी सरकारी/अन्य संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारी को सर्वप्रथम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रारम्भ में प्रत्येक विभागाध्यक्ष को login दिया जायेगा, जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थ user create कर सकता है। रजिस्ट्रेशन हेतु उसे ई-मेल अंकित करना होगा एवं यथानिर्दिष्ट प्रविष्टियों का अंकन पोर्टल में करना होगा।
2. जब कभी किसी विभागीय अधिकारी द्वारा कोई ऐसी ई-निविदा, जिसका अनुमानित मूल्य रु० 1.00 करोड़ (रु० एक करोड़) या उससे अधिक हो, ई-निविदा पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी तो उसके द्वारा सम्बन्धित निविदा का आवश्यक विवरण अनिवार्य रूप से इस पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा। इससे सम्बन्धित ई-निविदा की निविदा आई०डी० एवं अन्य विवरण पोर्टल पर प्रदार्शित होने लगेगी।
3. शिकायत/सुझाव दर्ज करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसे विभाग का नाम एवं निविदा की आई०डी० का अंकन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने पर उसके मेल पर एक लिंक आयेगा, जिसे क्लिक करने पर ही वह रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् उस व्यक्ति के सामने शिकायत/सुझाव अंकित करने हेतु स्क्रीन खुलेगी, जिस पर वह निविदा के तकनीकी/वित्तीय पक्षों पर अपनी शिकायत/सुझाव का अंकन करेगा, जो अधिकतम 500 शब्द का हो सकेगा। इसको पूर्ण करने के पश्चात् पोर्टल पर submit किया जायेगा। शिकायत के पोर्टल पर submit होते ही निविदा आमंत्रित करने वाले

अधिकारी को ई-मेल पर उक्त आशय की सूचना स्वयंमेव मिल जायेगी एवं पोर्टल में यह प्रदर्शित होगा कि सम्बन्धित निविदा पर एक शिकायत अंकित है। यदि शिकायत से सम्बन्धित कोई अभिलेखीय साक्ष्य है तो शिकायतकर्ता उसे पोर्टल में अपलोड कर सकता है।

4. ई-निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी पोर्टल पर उस शिकायत का समाधान शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर करेगा एवं स्टेटस में यह अंकित करेगा कि शिकायत विचारयोग्य (Admissible) पाये जाने पर नियमानुसार समाधान किया गया अथवा सकारण निरस्त (Closed) गयी है। इसके अंकन पर शिकायतकर्ता के ई-मेल पर तदनुसार सूचना स्वयंमेव चली जायेगी। यदि निर्धारित अवधि में शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो शिकायत/सुझाव स्वयं अपीलीय अधिकारी हेतु अग्रसारित हो जायेगी।
5. शिकायतकर्ता/सुझावकर्ता को इस पोर्टल पर अपनी शिकायत/सुझाव अंकित करने हेतु निविदा के प्रकाशन से 60 दिन अधिकतम अथवा अनुबन्ध गठित होने की तिथि, जो भी पहले हो तक का समय उपलब्ध रहेगा। इसके उपरान्त की गई शिकायत कालबाधित (Time Barred) मानी जायेगी एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. यदि शिकायतकर्ता/सुझावकर्ता ई-निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वहाँसे निर्णय अंकन करने के दिनांक से 8 दिनों के अन्दर अपनी अपील उक्त पोर्टल में ही अपीलीय अधिकारी को अंकित करेगा, जिसका निस्तारण 15 दिवसों में अपीलीय अधिकारी सुनिश्चित किया जायेगा। यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील का निस्तारण नहीं किया जाता है तो इस आशय का विवरण मुख्य सचिव के ई-मेल आईडी<sup>10</sup> में स्वयंमेव अग्रसारित हो जायेगा। परन्तु अपील का निस्तारण अपीलीय अधिकारी को करना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार आपत्तियों/सुझावों के अंकन एवं उनके समाधान हेतु ई-निविदा प्रकाशन से कुल 90 दिनों का समय उपलब्ध रहेगा।

7. ई-निविदा की तिथि विस्तारित किये जाने की स्थिति में उक्त समय सारणी ई-निविदा विस्तारित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।
8. स्थापित वित्तीय नियमों के अन्तर्गत वर्तमान में त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है। कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग ये तीन स्तर हैं। अतः कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के स्तर से प्रकाशित होने वाली सभी निविदाओं हेतु कमशः विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अपीलीय अधिकारी होंगे। कार्यों की अधिकतता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को अपील के निस्तारण का कार्य प्रतिनिधानित कर सकते हैं।
9. ई-निविदा के प्रकाशन/विस्तारित किये जाने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर अथवा अनुबन्ध गठित होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होते हैं तो गठित किये गये अनुबन्ध की प्रति के प्रथम व अंतिम पृष्ठ को अपलोड करने पर वह निविदा पोर्टल में hide हो सकेगी एवं उसके पश्चात कोई शिकायत/सुझाव पोर्टल में अंकित नहीं हो सकेगा। अनुबन्ध की प्रति पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सूची में अनुबन्ध से सम्बन्धित निर्धारित सूचनाओं का अंकन भी किया जाना होगा।
10. किन्तु यदि उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त होते हैं तो उक्त समय सारणी के अनुसार उसका अन्तिम रूप से निस्तारण करने के पश्चात ही गठित किये गये अनुबन्ध की प्रति के प्रथम व अंतिम पृष्ठ को अपलोड करने एवं सूची में निर्धारित सूचनाओं के अंकन करने पर ही वह निविदा पोर्टल में hide हो सकेगी एवं उस तिथि के पश्चात कोई

शिकायत/सुझाव पोर्टल में अंकित नहीं हो सकेगी। अनुबन्ध की प्रति पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

11. इस प्रक्रिया का MIS भी यथावश्यक रखा जायेगा।
12. प्रारम्भ में यह पोर्टल ITDA के सर्वर पर Host किया जायेगा। कालान्तर में राज्य सरकार के प्रोक्योरमेंट का परिवर्तित पोर्टल तैयार होने पर उसी पोर्टल में एक लिंक के द्वारा इस पोर्टल को समाहित किया जायेगा।
13. परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरान्त पोर्टल का रख-रखाव निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में ई-प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा किया जायेगा।
3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या—(1) / XXVII(7)/32(01)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)  
अपर सचिव।